प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. हरियाणाा राज्य के सभी आई. ए. एस/एच. सी. एस अधिकारी
2. हरियाणा सिविल सचिवालय कें सभी उप सचिव/अवर सचिव
3. हरियाणा सिविल सचिवालय के सभी वरिष्ठ वचिव/निजि सचिव
4. हरियाणा सिविल सचिवालय के सभी शाखा के अधीक्षक/इन्चार्ज।

क्रमांक 6/1/2009 – स. पु. (ह)
दिनांक 14/7/2009

विषयः निर्धारित समय अवधि के उपरान्त पुस्तकालय की पुस्तकों को लौटाने पर लगाए जाने वाले जुर्माने में संशोधन बारे।

....

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

2. दिनांक 13.8.2008 के अनुसार पुस्तकालय की पुस्तकों को निर्धारित समय अवधि के उपरान्त लौटाने पर 2/– रू प्रति दिन/प्रति पुस्तक जुर्माना लगाया गया था। अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रतिवेदनों पर मामले का पुनर्विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि अब जुर्माने की राशि 2/– रू प्रति दिन/प्रति पुस्तक से धटाकर 1/– रू प्रति दिन/प्रति पुस्तक कर दी गई है। पुस्तकों को जारी करने की अवधि पहले जैसी ही रहेगी अर्थात् सामान्य पुस्तकें एक माह के लिए और नियमों/एक्ट की पुस्तकें तीन महीने के लिए जारी किये जाऐगें। कई मामलों में निर्धारित समय अवधि के उपरान्त की अवधि का जुर्माना पुस्तक की मूल कीमत से कही अधिक हो जाता था परन्तु अब अधिकतम जुर्माना पुस्तक की मूल कीमत के बराबर तक ही वसूल किया जाएगा।

प्रशासकीय सुधार शाखा
प्राप्ति सं० 804
दिनांक 15/7/09

3. यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुस्तक के खो जाने पर पुस्तक की मूल कीमत व निर्धारित समय अवधि के उपरान्त की अवधि का जुर्माना 1/– रू प्रति दिन/प्रति पुस्तक दोनो वसूल किये जाऐगें और जुर्माने की राशि पुस्तक की मूल कीमत तक ही सीमित रहेगी ।

4. यह सशोधित जुर्माना तुरन्त प्रभाव से लागू होगा। कृप्या इसे अपने अधीन कार्यरत अमले के ध्यान में भी लाने की कृपा करें।

पुस्तकाध्यक्ष
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

पृ. क्र. 6/1/2009 – स. पु. (ह) दिनांक 14/7/2009

इसकी एक प्रति वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि इन हिदायतों को कृप्या Secretariat Instructions में Print करवाने की कृपा करे।

13/7/09.

पुस्तकाध्यक्ष

कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।